

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर भादूविप्रा की दिनांक 16.06.2025 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैंक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

नई दिल्ली, 4 जुलाई 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भादूविप्रा की दिनांक 20.12.2024 की 'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त बैंक-रेफरेंस का उत्तर जारी किया है।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26.07.2023 के संदर्भ पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया था कि भारतीय रेलवे ने अपनी संरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत करने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज युग्मित स्पेक्ट्रम को बिना किसी शुल्क के आवंटित करने का अनुरोध किया था। दिनांक 26.07.2023 के उक्त संदर्भ पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से इस विषय पर जांच करने और अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में हितधारकों से विस्तृत परामर्श के बाद भादूविप्रा ने दिनांक 20.12.2024 को 'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर दूरसंचार विभाग को अनुशंसाएं प्रदान की थीं।

3. तदुपरांत दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16.06.2025 को एक बैंक-रेफरेंस के माध्यम से 'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर भादूविप्रा की कुछ अनुशंसाओं को वापस भेजा और भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार इन अनुशंसाओं पर पुनर्विचारित अनुशंसाएँ प्रदान करें।

4. इस संबंध में सावधानी पूर्वक जांच के बाद भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को बैंक-रेफरेंस पर अपना उत्तर भेजा है। भादूविप्रा द्वारा बैंक रिफरेंस का उत्तर भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर भी रखा गया है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा